रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266072
CG-DL-E-11092025-266072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 9, 2025/भाद्र 18, 1947
No. 619] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 2025/BHADRA 18, 1947

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2025

फा.सं. ई-14011/3/2024/एलपीएआई-(I).— भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से **भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 31) की धारा 10 के साथ पठित धारा 35 की** उपधारा *(2) के खंड (ख)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय में सतर्कता अधिकारी, मुख्य पत्तन प्रशासक और पत्तन कार्यकारी के पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, भर्ती विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना-** ये विनियम, इन विनियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उनके स्तर वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इन विनियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन विनियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंद्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदनाम	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशतता।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. सतर्कता अधिकारी।	1 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु. 123100-215900)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात्: - (i) **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; और** (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में नीति, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त, लेखा या न्यायालय मामलों के क्षेत्र के अलावा सतर्कता मामलों के निपटान में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. मुख्य पत्तन प्रशासक।	12 * (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'क' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-13 (रु. 123100-215900)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हो, अर्थात्:- **(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक की डिग्री; और** (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन में परिचालन, व्यवसायिक प्रशासन, परिवहन, संभार-तंत्र, सुरक्षा, उद्योग या वाणिज्य के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से अधिमानत: प्रबंधन में मास्टर डिग्री धारक हो। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2.-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. पत्तन कार्यकारी।	89* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के ग्रुप 'ग' पद के समतुल्य।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)।

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव हों, अर्थात्: - **(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री; और** (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था में परिचालन, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, संचार, परिवहन, संभार तंत्र, योजना, परियोजना निष्पादन, भंडारण, यातायात विनियमन, यात्री सुविधा, सुरक्षा, उद्योग या वाणिज्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.-** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2. -** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

जयन्त सिंह, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./352/2025-26]

LAND PORTS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2025

F. No. E-14011/3/2024/LPAI. (I) — In exercise of the powers conferred by clause (*b*) of sub-section (*2*) of section 35 read with section 10 of the Land Ports Authority of India Act, 2010 (31 of 2010), the Land Ports Authority of India, with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment of the posts of Vigilance Officer, Chief Port Administrator and Port Executive, in the Land Ports Authority of India, Ministry of Home Affairs, namely:

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Land Ports Authority of India, Officers and other Employees, Recruitment Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. – These regulations shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix .– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification. – No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

6. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

7. Saving.– Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Vigilance Officer.	1 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: — (i) **Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute; and** (ii) three years' experience in handling vigilance matters besides in the field of policy, administration, human resource development, finance, accounts, or court cases in the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation. **Note 1.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2.**— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Chief Port Administrator.	12 * (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'A' post to the Government of India.	Level-13 in the pay matrix (Rs. 123100-215900).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **(i) Bachelor's degree from a recognised University or recognised institute; and** (ii) three years' experience in the field of operations, business administration, transport, logistics, security, industry **or** commerce in the Central Government **or** State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation. **Desirable:** Preferably holding Master's degree in Management from recognised University or recognised institute. **Note 1.**— The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. **Note 2.**— The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3. Port Executive.	89* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	Equivalent to Group 'C' post to the Government of India.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short-term contract).

(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or recognised University or recognised research institution, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:— **(i) Bachelor's Degree from a recognised University or recognised institute; and** (ii) with two years' experience in the fields of operations, administration, human resource development, communication, transport, logistics, planning, execution of project, warehousing, traffic regulation, passenger facilitation, security, industry or commerce in the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution. **Note 1.**— The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.**— The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.	Not applicable.

JAYANT SINGH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./352/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.11 16:24:23 +05'30'